राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर,भीलवाडा

कमांक : एफ 39–7(1)( )/आरए/2014/4873/3557 दिनांक 28.06.2017

अधिशाषी अभिन्यंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग,
पीएमजीएसवॉए–डबलू खण्ड शाहपुरा,
जिला भीलवाडा

विषय :– वन भूमि प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– आपका पत्रांक 311 दिनांक 05.08.2016 , 75 दि0 31.05.2017 व 78 दि0 31.05.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि तहसील क्षेत्र बिजौलिया में प्रस्तावित सड़क निर्माण हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी एफआरए प्रमाण पत्र जो बिजौलिया खुर्द से छतरीखेडा वाया मानगढ कुल किता 5.5 है0 वन भूमि एवं एस.एच. 29 से लोडदा कुल किता 3.28 है0 वन भूमि के एफआरए प्रमाण पत्र दिनांक 02.08.2016 को जारी किये गये थे। इस सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्र से अवगत कराया गया है कि उक्त वन भूमि के बदले पुनः वन विभाग को भूमि आरक्षित किये जाने हेतु आप द्वारा निवेदन किया है।

अतः प्रांसगिक पत्र के संदर्भ में आपको इस कार्यालय के पत्रांक 4286 दिनांक 19.09.2016 से सूचित किया गया था कि उक्त जारी एफआरए प्रमाण पत्र की वन भूमि की स्वीकृति वन विभाग द्वारा रोड हेतु एनओसी/आवंटन के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त होने पर वन भूमि लेण्ड बैक हेतु आरक्षित आराजीयात में से उतनी ही भूमि वन विभाग को आरक्षित कर दी जावेगी। पत्र की छायाप्रति सलंग्न है।

सलंग्न :– उपरोक्तानुसार

अति0 जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :–

1– उप वन संरक्षक, भीलवाडा को पत्र क्रमांक 6864 दिनांक 08.06.2017 के क्रम में लेख है कि बिजौलिया खुर्द से छतरीखेडा वाया मानगढ कुल किता 5.5 है0 वन भूमि एवं एस.एच. 29 से लोडदा कुल किता 3.28 है0 वन भूमि के एफआरए प्रमाण पत्र दिनांक 02.08.2016 को जारी किये जा चुके है। एफआरए प्रमाण पत्र की छायाप्रति सलंग्न है।

अति0 जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

revnuebhilwara@gmail.com